

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.11.2018 द्वारा श्रीमती शोभा गौड़, व्याख्याता जीव विज्ञान राउमावि, भटिण्डा बनाड़, जोधपुर जन्म तिथि 11.10.1964 की सेवा समाप्ति के आदेश प्रपत्र-06 में जारी किये गये थे।

उक्त आदेश के प्रपत्र -06 के बिन्दु 01 में अंकित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं, के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी एवं बिन्दु 02 में अंकित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं, के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं थी पढ़ा जावे। शेष मूल आदेशानुसार यथावत रहेगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवासमाप्ति/2019-20

दिनांक:- 03/06/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
3. कार्यालय अतिरिक्त निदेश, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भटिण्डा, बनाड़, जोधपुर।
7. आश्रित स्व. श्रीमती शोभा गौड़, व्याख्याता-जीव विज्ञान।
8. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर